फोन : कार्यालय – 0551 – 2340363
आवास – 0551 –

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया जाय ।

प्रेषक,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर – 273009

पत्रांक : दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2015/800 ***दिनांक 09/जुलाई/2015***

सेवा में,

प्रबन्धक,
राजा देवी महिला पी0जी0 कालेज, सल्लहपुर, भटनी, देवरिया।

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत** प्रवक्ताओं के चयन अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्र दिनांक **07-07-2015** के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या **35965/2015** में पारित आदेश दिनांक **02-07-2015** के अनुपालन में कुलपति जी ने चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबंध समिति की स्वीकृति के आधार पर **स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं** के चयन का अनुमोदन इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करने की कृपा की है कि इन शिक्षकों के किसी अन्य महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में कार्यरत / अनुमोदन होने की दशा में इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

क्र.सं.	प्रवक्ता का नाम	पिता का नाम	विषय
1	धर्मेन्द्र कुमार	हीरालाल	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
2	विजय बहादुर यादव	रामआसरे यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
3	उमेश कुमार	प्रहलाद तिवारी	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षा के परिप्रेक्ष्य)
4	राकेश कुमार यादव	रामयज्ञ यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
5	मनोज कुमार तिवारी	राजेन्द्र प्रसाद तिवारी	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
6	अवधेश कुमार यादव	राममूर्ति यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शिक्षण विषय)
7	बृजेश कुमार यादव	बासदेव यादव	प्रवक्ता, बी0एड0 (शारीरिक शिक्षा)
8	अनिल कुमार	सूरज प्रसाद	प्रवक्ता, बी0एड0 (ललित कला)
9	अनिल कुमार	सुरेश राम	प्रवक्ता, बी0एड0 (निष्पादन कला)

नोट–

1. **चयन समिति द्वारा चयनित प्रवक्ता राकेश सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह, जन्मतिथि 01.05.1978 जो आर0पी0 यादव महाविद्यालय महुली बाजार, संतकबीरनगर में अनुमोदित हैं। अतः कुलपति जी के आदेशानुसार श्री राकेश सिंह पुत्र श्री रामपाल सिंह के चयन का अनुमोदन इस महाविद्यालय में नहीं किया जा सकता।**
2. **क्रम संख्या 01 से 09 तक चयनित प्रवक्ताओं में नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नेट प्रमाणपत्रों की यू0जी0सी0 से वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करा कर प्रस्तुत करने का कष्ट करें। एक माह के अन्दर उक्त प्रमाणपत्रों का वेरिफिकेशन सम्बंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त चयनित अभ्यर्थियों का चयन / अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।**

अन्य शर्तें–

1. महाविद्यालय में प्रवक्ता की नियुक्ति शासनादेश संख्या 2443 / सत्तर–2–2000–2(85) / 97 दिनांक 09 मई, 2000 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति–पत्र, फोटो सहित संविदा की प्रमाणित छायाप्रति एवं नियुक्त प्राचार्य / प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया प्रति विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अनुबंध–पत्र में समयावधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाय एवं शासनादेश संख्या 968 / 70–2–2013–18(99) / 2013 दिनांक 30 मई, 2013 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार यह व्यवस्था की जाती है कि कोई प्रतिकूल परिस्थिति न होने पर **प्रबन्ध तंत्र संबंधित विश्वविद्यालय के अनुमोदन से शिक्षकों की संविदा का नवीनीकरण अपने स्तर से करते रहेंगे किन्तु प्रतिकूल परिस्थिति होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।**
2. शासनादेश संख्या 968 / 70–2–2013–18(99) / 2013 दिनांक 30 मई, 2013 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरुप महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों से शुल्क के रूप में जो सकल धनराशि प्राप्त होती है उसे एक ही बैंक के खाते में रखा जाना उचित होगा और प्रति माह विभिन्न पाठ्यक्रमों की सकल आय का 75 से 80 प्रतिशत धनराशि शिक्षकों के वेतन पर व्यय को सुनिश्चित करने हेतु खाते का संचालन महाविद्यालय के प्रबंधक एवं प्राचार्य के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। शासनादेश संख्या 759 / सत्तर–2–2005–2(85) / 97 दिनांक 11 मार्च, 2005 में उल्लिखित निर्देशों के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि संस्था में नियुक्त समस्त अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एकाउण्टपेयी चेक के द्वारा वेतन का भुगतान किया जाय।
3. अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेंट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,

कुलसचिव